संख्या- 3/17एम(4)/35-आ0-1/2009-12

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

राज्य योजना आयोग-1
नियोजन विभाग

लखनऊ:दिनांक:दिसम्बर 08, 2014

विषय: उ0प्र0 राज्य में आधार परियोजना के क्रियान्वयन के लिये एनरोलमेन्ट एजेन्सीज के चयन हेतु प्रक्रिया।

महोदय,

यूनीक आईडेन्टीफिकेशन ऑथारिटी ऑफ इण्डिया की स्थापना देश के समस्त निवासियों को यूनीक आईडेन्टीफिकेशन नम्बर उपलब्ध कराने के लिये की गयी है। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा आधार प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप राज्य योजना आयोग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 17एम(4)/35-आ0-1/2009-12, दिनांक:मार्च 04, 2014 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त को उनके कार्यक्षेत्र के लिये रजिस्ट्रार तथा समस्त जिलाधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के लिये संयुक्त रजिस्ट्रार नामित किया गया है।

2- प्रदेश में आधार प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित व्यवस्था, दिशा-निर्देशों, एनरोलमेन्ट एजेन्सियों के सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया, आर0एफ0क्यू0 मूल्यांकन एवं परियोजना हेतु जिला अनुश्रवण समिति के सम्बन्ध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 17एम(4)/35-आ0-1/2009-12, दिनांक:नवम्बर 10, 2014 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। उक्त कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत विकेन्द्रित व्यवस्था में मण्डल स्तर पर एनरोलमेन्ट एजेन्सीज के चयन आदि का कार्य मण्डलायुक्त जो उक्त परियोजना हेतु रजिस्ट्रार नामित हैं, द्वारा किया जायेगा।

3- Request for Quotation (R.F.Q.) को एनरोलमेन्ट एजेन्सियों की चयन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु समस्त मण्डलायुक्त जो इस परियोजना के रजिस्ट्रार भी हैं, को अलग से पृथक-पृथक प्रेषित किया जा चुका है।

4- मण्डलायुक्त (रजिस्ट्रार) द्वारा सूचना विभाग के माध्यम से Request for Quotation का विज्ञापन हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में राष्ट्रीय स्तर के न्यूनतम दो-दो समाचार-पत्रों में और राज्य व मण्डल स्तर के न्यूनतम दो-दो प्रमुख समाचार-पत्रों में कराया जायेगा। साथ ही साथ समस्त विज्ञप्ति राज्य सरकार, यू0आई0डी0ए0आई0, रजिस्ट्रार व संयुक्त रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

5- एनरोलमेन्ट एजेन्सीज के चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय-सारणी संलग्न है जिसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आधार कार्ड का नामांकन समय बद्ध तरीके से सुनिश्चत किया जाये। आधार परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण यू0आई0डी0ए0आई0 की वेबसाइट http://uidai.gov.in पर देखे जा सकते हैं। अन्य आवश्यक जानकारियां aadhaar.up@gmail.com पर मेल कर प्राप्त की जा सकती है।

6- यह भी स्मरण कराना है कि आधार कार्ड परियोजना शासन के विकास एजेन्डा में सम्मिलित है। अतः इसकी नियमित समीक्षा जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त के साथ ही शासन स्तर पर एवं जनपदों में नामित नोडल अधिकारी/सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा की जायेगी।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या- 3(1)/17एम(4)/35-आ0-1/2009-12, तद् दिनांक:

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- महानिदेशक एवं मिशन निदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, नई दिल्ली।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- राज्य यू0आई0डी0 कार्यान्वयन समिति के समस्त सदस्य/सदस्य सचिव।
5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7- RFQ Evaluation Committee के समस्त सदस्य/सदस्य सचिव।
8- जिला अनुश्रवण समिति के समस्त सदस्य/सदस्य सचिव।
9- उपमहानिदेशक, यूनीक आईडेन्टीफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

रजिस्ट्रार द्वारा निविदा प्रक्रिया और नामांकन एजेंसी के चयन के लिए निर्धारित समय–सारिणी।

	कार्य	कार्य अवधि	तिथि
क	आर.एफ.क्यू. विज्ञापन को हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में कम से कम राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों सहित राज्य व मण्डल स्तर के न्यूनतम दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करें, तथा समस्त विज्ञप्ति राज्य सरकार, रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर अपलोड करें।	7 दिन	09–12–2014
ख	मण्डलवार एजेंसियों से निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि।	30 दिन	09–01–2015 तक
ग	मण्डल स्तर पर "आर.एफ.क्यू. मूल्यांकन समिति" द्वारा नामांकन एजेंसियों की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हुए चयन किया जाना।	3–5 दिन	12–01–2015
घ	चयनित नामांकन एजेंसियों को एल.ओ.आई. प्रदान करना, नामांकन एजेंसी द्वारा कार्ययोजना उपलब्ध कराया जाना व नामांकन एजेंसियों द्वारा पी.बी.जी. और ई.एम.डी. जमा करने, चयनित नामांकन एजेंसियों के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया जाना तथा कार्यादेश जारी करना।	45 दिन	27–02–2015
ड.	नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को चयनित नामांकन एजेंसियों की सूचना उपलब्ध कराया जाना।	3 दिन	01–03–2015

आशय पत्र (एल.ओ.आई.)
अग्रिम धनराशि जमा (ई.एम.डी.)
परफॉरमेंस बैंक गारंटी (पी.बी.जी.)